जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101980 / 14052 DATED- 19-7-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रेष्ठ रियल टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लि.जरिये निदेशक श्री गौरी शंकर गुप्ता पंजीकृत कार्यालय बी-1, बैंक ऑफिसर्स कैम्पस, महिमा पनोरमा के सामने, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर	श्रेष्ठ रियल टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लि. हिस्सा पूर्ण पंजीकृत कार्यालय बी-1, बैंक ऑफिसर्स कैम्पस, महिमा पनोरमा के सामने, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर	2391 2392/3329	0.3200 0.0600
कुल		कुल किता 2	रकबा 0.3800 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19/7/22 को जारी की गयी।

PRO-R-926
19/7/22

उपायुक्त जोन-9
प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

(दक्षिण–प्रथम), इन्द्र पथ सेक्टर–12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वंय की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा स्थिति में उक्त खसरओं में स्थित भूमि में विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण–प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. अति. आयुक्त (पी.आर.एन.) महोदय, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण–प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / पी.आर.एन. (दक्षिण–प्रथम) / 2022 / डी–1536 दिनांक– 13/7/22

संशोधित

:–आम सूचना:–

दी शिवा को– आपरेटिव हा. सोसायटी लि की योजना 6डी इजीनियर्स कालोनी ओए ब्लॉक का आवंटन / नियमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण / आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र. स.	ग्राम / तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण / आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम–मान्यावास तहसील–सांगानेर जिला जयपुर	36 36 / 448 29 / 516 29 / 517 29 / 518	0.1000 0.1000 0.7100 0.7100 0.7100	सम्पूर्ण / आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
	कुल किता	5	2.33 हैक्टर		

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है–

क्र. स.	प्लाट नं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता / पित का नाम	प्लाट की साईज
1	ओए– 1	कृष्ण कुमार सैनी	जगदीश नारायण सैनी	443.25
2	ओए– 2	चन्द्र प्रकाश सैनी	मनफूल सैनी	422.41
3	ओए– 3	आशा सैनी	मनफूल सैनी	450.94
4	ओए– 4	नाथी देवी	जगदीश सैनी	411.57
5	ओए– 5	कृष्ण कुमार सैनी	जगदीश सैनी	489.77
6	ओए– 6	आशा सैनी	मनफूल सैनी	245.08
7	ओए– 7	तारा सैनी	मनफूल सैनी	245.08
8	ओए– 8	बंशी लाली सैनी	जगदीश नारायण सैनी	489.77
9	ओए– 9	जगदीश नारायण सैनी	भंवर लाल सैनी	403.23
10	ओए– 10	जगदीश सैनी	रामू लाल सैनी	290.74
11	ओए– 11	तारा सैनी	मनफूल सैनी	379.78
12	ओए– 12	बंशी लाल सैनी	जगदीश नारायण सैनी	487.33

उक्त योजना 6डी इजीनियर्स कालोनी ओए ब्लॉक का नियमन शिविर दिनांकः 25.07.20222 व 26.07.2022 तक लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियो की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार / हितधारक / भूखण्डधारी / व्यक्ति / संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 (सात) दिवस या कैम्प दिवस (जो भी कम हो) में, कार्यालय पृथ्वीराज नगर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय) / 2022 / डी– 3440 दिनांकः– 19.7.2022

–:सूचना:–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन / भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व / सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति / संस्था / कम्पनी / सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण / प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम / पिता / पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	प्रीति अग्रवाल पत्नी श्री नवीन अग्रवाल (श्यामपुरी गृ.नि.स.समिति की योजना श्याम नगर)	63A	193.33
2	हर्ष जैन एचयूएफ पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जैन (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.समिति की योजना मॉडल टाउन)	17	228.00

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 1360 दिनांक 19/7/22

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चित्रा पत्नी श्री प्रवीण कुमार बुनकर द्वारा शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना एल.एस. नगर के भूखण्ड संख्या सी–15 का नाम हस्तान्तरण लीजधारक द्वारा किये गये रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर करने हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड की लीज डीड श्री कैलाश चन्द बुनकर के पक्ष में जारी की गई थी।

अतः आवेदित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर किये जाने में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद–मियाद आवेदिक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO-919
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–5/2022/डी– 2109 दिनांक :– 13-7-22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	110199	54	पंचोली विहार	श्री कमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा	श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी श्री सत्य नारायण शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
2.	110502	बी–42	त्रिवेणी नगर	श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री सीताराम जांगिड़ एवं श्रीमती अनिता जांगिड़ पत्नी श्री राकेश शर्मा	श्री सीताराम जांगिड़ पुत्र श्री गणपत राय जांगिड़	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
3.	111116	बी–231	स्कीम 10 बी	श्री मोहन लाल श्यामदास नवलानी पुत्र श्री श्याम दास	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री श्याम दास	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
4.	110185	55	पंचोली विहार	श्री प्रमोद शर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा	श्रीमती निर्मला शर्मा एवं श्री सत्य नारायण शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
5.	110154	सी–63	श्याम नगर	श्रीमती दुर्गा पंवार, सिद्धेन्द्र सिंह पंवार व अपर्णा पंवार	श्री यतीन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री बीरेन्द्र सिंह पंवार	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा शपथ पत्र

PRO/R-932/ 19/7/22

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

(3)

उपायुक्त जोन–5

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–5 / 2022 / डी– 2174 दिनांक :– 18-7-22

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	–	42 ए	गोपालपुरा–सी	श्री ओम प्रकाश सामरिया पुत्र श्री बाबू लाल	श्री घासी राम पुत्र श्री नेहनू राम	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र
2.	–	298 ए	स्कीम 10 बी	श्री गेंदी लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री बंशी लाल शर्मा	श्री बंशी लाल शर्मा पुत्र श्री गुल्ला राम	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
3.	–	716 ए	शांति नगर	श्री भरत सिंह पुत्र श्री हरी सिंह	श्रीमती मोहनी देवी जैन पत्नी श्री सोहन लाल जैन	अपंजीकृत इकरारनामा
4.	–	ई–135ए	राम नगर विस्तार	श्री अनिल कुमार जायसवाल पुत्र श्री के. पी. जायसवाल	श्रीमती सुधा पंडित पत्नी श्री श्याम पंडित	अपंजीकृत दस्तावेज
5.	108097	सी–434	महेश नगर	श्रीमती सुखमाल जैन पत्नी स्व. श्री अभय मल भंडावत एवं श्रीमती अनिता भंडावत पत्नी स्व. श्री दीपक मल भंडावत	श्री उमराव मल भंडावत पुत्र स्व. श्री केसरी मल भंडावत	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
6.	75558	26	केशव विहार	श्री कन्हैया लाल लालवानी, श्री अशोक कुमार लालवानी, श्री जेठानन्द लालवानी पुत्रान् श्री दयालदास लालवानी	श्री भुवनेश चन्द्र गार्गश पुत्र श्री नन्द कुमार गार्गश	अपंजीकृत इकरारनामा

R-933 19/7/22

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन, जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त जोन–5

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1505 दिनांक 19/7/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या एफ– 87 योजना आम्रपाली नगर का पट्टा श्री निमिष पारीक को जारी किया गया था। तत्पश्चात श्री निमिष पारीक द्वारा भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से मैसर्स आम्रपाली रियल एस्टेट प्रा.लि. निदेशक श्री पवन कुमार अग्रवाल को किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदिका के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PRO/R-929
19/7/22

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी– 3425 दिनांकः– 15-7-2022

–:सूचना:–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती सीता शर्मा पत्नी स्व. श्री श्रवण लाल शर्मा (रामराजपुरा गृ.नि.स.समिति की योजना कनक विहार)	41	185.83
2	श्री राकेश जांगिड पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जांगिड (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना सुखिजा विहार–ए)	71	166.00

॥
उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-915
19/7/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय) / 2022 / डी—3426 दिनांकः— 15.7.2022

—:सूचनाः—

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजना के निम्न भूखण्डधारी ने नियमन / भू—आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व / सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति / संस्था / कम्पनी / सह—खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण / प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम / पिता / पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री राजवीर सैनी पुत्र श्री गोपाल सैनी (दी सांगानेर कॉ.ओ.हा0सो0लि. गृ.नि.स.समिति की योजना वरूण कॉलोनी)	A 17 A	154.34

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः—
1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO R-913 19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3274 दिनांकः– 27.6.2022

–:सूचना:–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती पदमीनी परमार पत्नी श्री पि.एस. परमार (अम्बेश्वर गृ.नि.स.स.लि. की योजना रजत विहार)	12	150.00
2	शिप्रा भार्गव पत्नी श्री नरेश भार्गव (बदनपुरा गृ.नि.स.स.लि. की योजना स्कीपर्स वैली)	64	691.30
3	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री हनुमान सिंह (बस्सी सीतारामपुरा–बी गृ.नि.स.स.लि. की योजना भैरव नगर)	82-A	57.33
4	श्रीमती खुशबू चौधरी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार (मीनावाला गृ.नि.स.समिति की योजना हनुमन्त विहार–सी)	28 C	515.34
5	श्री सुरेन्द्र सिंह कटेवा पुत्र श्री फूल चन्द राम (बाबा आर.एन.गोढ गृ.नि.स.समिति की योजना कमल विहार)	58	183.33

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-911
1/7/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय)/2022/डी— 3326 दिनांकः— 5-7-2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महिमा नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 08 क्षेत्रफल 210.00 वर्गगज का श्री जितेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री भंवर सिंह राजावत एवं श्रीमती पूजा कंवर पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह राजावत द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 135 से आंशिक रूप से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी का पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

Sd/-

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-913
19/7/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हसनपुरा गृह निमार्ण सहकारी समिति की योजना तीजा विहार के **भूखण्ड संख्या 70 क्षेत्रफल 409.57 व.ग. श्रीमती नोरती देवी देवी पत्नी श्री राम नाथ सैनी एव भूखण्ड संख्या 71 क्षेत्रफल 392.46 व.ग. श्री प्रभू दयाल पुत्र श्री तीजा राम सैनी** द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत् ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का आंशिक भाग ग्राम मान्यावास के खसरा नं. 150 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी– 1538
दिनांकः– 15/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री मुकेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	33	455.00
2.	श्रीमती संतोष पत्नी श्री फूलचंद बदनपुरा फकीरों की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना सुन्दर नगर	ए-95ए	120.00
3.	श्री मगन लाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद बदनपुरा फकीरों की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना सुन्दर नगर	ए-95बी	120.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आॅन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-1444 / 16.07.2022

PRO/R-908
19/7/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

E:\arvind\VIGYAPTI JOINT.docx

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी-4049

दिनांकः–18-7-2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

आवेदक श्रीमती पूनम मीणा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश मीणा निवासी जयकिशन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 251, 259, 261 क्षेत्रफल 13461.48 वर्ग मीटर का ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर आवासीय योजना अनुमोदन करने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि का आवासीय एकल पट्टा श्रीमती पूनम मीणा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश मीणा के नाम दिनांक 30.12.2008 को जारी किया गया है।

ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ जारी एकल पट्टा का विवरण निम्नानुसार है :–

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	खसरा भूमि का वर्तमान स्वामित्व
ग्राम–दांतली तहसील –सांगानेर जिला जयपुर	श्रीमती पूनम मीणा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश मीणा निवासी जयकिशन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर	251 259 261	13461.48 वर्ग मीटर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		किता 03	रकबा 13461.48 व.मी.	

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

Sd

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।
2. श्रीमती पूनम मीणा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश मीणा निवासी जयकिशन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-984
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपायुक्त जोन–1 / 2021 / डी– 2090 दिनांक:– 18/7/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या–बी–420 का आवंटन श्री ओमप्रकाश को किया गया था। श्री ओमप्रकाश द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री जी.डी. सक्सैना को भूखण्ड का विक्रय किया गया। श्री जी.डी. सक्सैना की मृत्यु दिनांक 27.05.2002 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती किरण सक्सैना की मृत्यु दिनांक 30.08.2006 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। रितु सक्सैना (पुत्री) द्वारा इकलौता वारिसा होने का शपथ पत्र पेश कर जविप्रा से उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने नाम जारी करवाया गया है। श्री आदेश कुमार सिंह की मृत्यु दिनांक 14.10.2020 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। उक्त भूखण्ड की वसीयत श्री आदेश कुमार द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती अंजू राघव के पक्ष में की गई है। श्रीमती अंजू राघव अब मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO-906 19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2021/डी–2091 दिनांकः– 18/7/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या–ई–17 का आवंटन श्री इन्द्र चन्द्र पुत्र श्री मदनलाल को किया गया था। श्री इन्द्र चन्द्र की मृत्यु दिनांक 02.03.2006 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। श्री इन्द्र चन्द्र द्वारा अंपजीकृत वसीयतनामा श्री मिथिलेश हरलालका पत्नी स्व. श्री इन्द्र चन्द्र को की गई थी। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तान्तरण पत्र/फ्री–होल्ड पट्टा चाहा गया है। श्री मिथिलेश हरलालका पत्नी स्व. श्री इन्द्र चन्द्र के द्वारा नामहस्तान्तरण पत्र/फ्री–होल्ड पट्टा चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-907
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू0ओ0नोट

सार्वजनिक विज्ञप्ति

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने विभिन्न योजनाऐं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क.स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह सांघा		
2	श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री सतवंत सिंह सांघा	74-बी	886.62
3	श्री सतवंत कौर सांघा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांघा	75	872.63
4	श्री सतवंत कौर सांघा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांघा	72	972.94
5	श्री वारिस सांघा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांघा	66	756.10
6	श्री वारिस सांघा पुत्र श्री जगदेव सिंह सांघा	84-ए	936.62
	(शंकर भवन नि.स.स.लि. जयपुर की योजना- विनायक एनक्लेव (दीप विहार))	85	941.96
7	श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री नानूराम यादव (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना-हरी नगर)	227	87.7
8	श्री हितेश मावड़ एवं श्री योगेश कुमार पुत्रान श्री किशन लाल मावड़ (महाराणा प्रताप गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना-वैशाली सिटी)	4	86.5
9	श्री विरेन्द्र मील पुत्र श्री सुरजा राम मील (बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना-राम विहार)	30	782.34

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सकें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-I
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट कमांक: जविप्रा/उपा./पीआरएन/उत्तर-I/2022/डी- 771
दिनांक 15/7/22

PRO/R-917
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1509 दिनांक 19/7/22

संशोधित आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आम सूचना क्रमांकः डी–1500 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा टैगोर नगर गृ.नि.स.स. की योजना मॉ वेष्णो नगर के भूखण्डधारियों की सदस्यता सूची प्रकाशित करवायी गयी थी। उक्त आम सूचना में सहवन से सहकारी समिति का नाम श्री हथरोई गृ.नि.स.स. अंकित किया गया था, जिसे टैगोर नगर गृ.नि.स.स. पढा जावे।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-927
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 19/7/2022

संख्या 1506

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स.** की योजना **माँ शाकम्भरी नगर ग्राम लालरपुरा** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
लालरपुरा जयपुर	1/204	1.7452	1. आनन्द भाष्कर पुत्र टी.सी. भास्कर हिस्सा– 49/552 जाति– जाट नि. गाँधीनगर जयपुर खातेदार 2. दरिया सिंह पुत्र धन्ना राम हिस्सा– 89/552 जाति– जाट सा. गैंगासहाय जयपुर खातेदार 3. नानछा पुत्र प्रताप हिस्सा– 1/2 जाति– जाट सा. देह खातेदार 4. सुनीता चौधरी पत्नी दरियासिंह हिस्सा–7/92 जाति जाट नि. वैशालीनगर जयपुर खातेदार 5. सुनीता सिंह पत्नी दरिया सिंह हिस्सा– 89/552 जाति– जाट सा. गैंगासागर जयपुर खातेदार 6. सरबती देवी पत्नी टी. सी. भास्कर हिस्सा– 7/552 जाति– जाट नि. गाँधीनगर जयपुर खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

PRO/R-928 19/7/22

उपायुक्त जान–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

नोटिस आज दिनांक 19/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd,
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार, जयपुर, जिला जयपुर।

उपायुक्त जोन–7
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

R-928
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 814　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 15/07/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **ओम शिव, गृ०नि०स०समिति** की योजना **अयोध्या नगर विस्तार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम धाउवास तहसील जयपुर	154	0.6829	1.(मैसर्स शर्मा ईस्ट इण्डिया हॉस्पीटल्स एण्ड मेडिकल रिसर्च लि. जरिये प्रबन्धक निदेशक व अधिकृत प्रतिनिधी डां शैलेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गणपतराय)हिस्सा 1/27 जाति ब्राह्मण नि.एच.–1 चितरंजन मार्ग सी स्कीम जयपुर खातेदार 2 कानाराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/24 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 3.तुलस्या पुत्र चंदा हिस्सा 1/6 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 4.भॅवरलाल पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 5.नाबालिग मुकेश (14वर्ष) पुत्र रामदेव संरक्षक संरक्षिता माता सुशीला हिस्सा 1/72 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 6.म्होरिया पुत्र चंदा हिस्सा 1/6 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 7.नाबालिग राकेश (11वर्ष) पुत्र रामदेव संरक्षक संरक्षिता माता सुशीला हिस्सा 1/72 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 8.लालाराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/24 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 9.सुशिला पत्नि स्व0 रामदेव हिस्सा 1/72 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार 10.हरनाथ पुत्र नृसिंह हिस्सा 25/54 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा देह। खातेदार

PRO/R-930 19/7/22

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 15/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd.

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा जयपुर

प्रतिलिपि निम्नि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-930
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

संख्या........817   दिनांक.....15/7/22

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी व गैर खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि.** की **योजना– शेखावत कॉलोनी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी व गैर खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी व गैर खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी व गैर खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला जयपुर	251/444	0.1770	1 ग्यारसा पुत्र रामदेव हिस्सा– 1/3 जाति मीणा सा. देह गैर खातेदार 2 छोटू पुत्र रामदेव हिस्सा– 1/3 जाति मीणा सा. देह गैर खातेदार 3 डालू पुत्र रामदेव हिस्सा– 1/3 जाति मीणा सा. देह गैर खातेदार
	251	0.1770	1 राजस्थान सरकार

PRO/831 19/7/22

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

उपायुक्त जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण

नोटिस आज दिनांक 15/7/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd.

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

PRO R-931
19/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक : 19/7/2022

क्रमांक : जविप्रा / जोन–08 / 2022 / डी–2027

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– 90 ए की लोक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय की जारी अधिसूचना डी 2026 दिनांक 19/7/2022 पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है। संलग्न अधिसूचनाओं को 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी, जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-920
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–08 / 2022 / डी–2026 दिनांक 19/7/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व / पश्चात की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है / किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों / वारीसान / हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति / असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र / इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण **महादेव कॉलोनी विकास समिति की योजना महादेव कॉलोनी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ति हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90–क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम सांगानेर तह. सांगानेर	1285 1290	0.18 0.19	प्रभूनारायण पुत्र महादेव जाति कुमावत हिस्सा 711 / 740 व शंकर लाल पुत्र केसर लाल जाति जाट हिस्सा 29 / 740
	2	0.37	
	1294	0.15	प्रभूनारायण पुत्र महादेव जाति कुमावत हिस्सा 9 / 10 व मंजू कंवर पत्नी गोविन्द सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1 / 10
	1283	1.11	प्रभूनारायण पुत्र महादेव जाति कुमावत हिस्सा 5113 / 5550 व कन्हैयालाल पुत्र गणेश नारायण हिस्सा 71 / 5550, कालूराम

PRO/R-920
19/7/22

			पुत्र घासीराम हिस्सा 9/740, प्रहलाद नारायण पुत्र ग्यारसी लाल हिस्सा 21/925, बाबूलाल पुत्र भंवर लाल हिस्सा 9/740 रमेश चन्द जैन पुत्र कमल किशोर हिस्सा 13/2220 एवं हनुमान पुत्र कालूराम हिस्सा 29/2220
	1284 1286 1287 1288 1289 1291 1292 1293 1295 1296	0.02 0.20 0.09 0.05 0.21 0.04 0.36 0.34 0.15 0.48	प्रभूनारायण पुत्र महादेव जाति कुमावत
	10	1.94	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। नोटिस आज दिनांक 19/7/22 को मेरें हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन–8,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-920
19/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101980/14052 DATED- 19-7-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रेष्ठ रियल टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लि.जरिये निदेशक श्री गौरी शंकर गुप्ता पंजीकृत कार्यालय बी–1, बैंक ऑफिसर्स कैम्पस, महिमा पनोरमा के सामने, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थातः–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–सिरोली तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	श्रेष्ठ रियल टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लि. हिस्सा पूर्ण पंजीकृत कार्यालय बी–1, बैंक ऑफिसर्स कैम्पस, महिमा पनोरमा के सामने, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर	2391 2392/3329	0.3200 0.0600
कुल		कुल किता 2	रकबा 0.3800 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19/7/22 को जारी की गयी।

APRO-R-926
19/7/22

उपायुक्त जोन-9
प्रशिक्षु अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
प्रशिक्षु अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3323 दिनांकः– 5.7.2022

–ःसूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री लोकेश कुमार धाकड पुत्र श्री जीवाराम धाकड (रामनगर गृ.नि.स.समिति की योजना बजरंग वाटिका)	20	97.05
2	श्री सरोज टांक पत्नी श्री सत्यनारायण टांक, श्री सतीश कुमार टांक पुत्र श्री सत्यनारायण टांक एवं सुनील कुमार टांक पुत्र श्री सत्यनारायण टांक (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना महावीर नगर–बी)	147, 148 & 149	1066.66
3	श्रीमती पूनम राठौड पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह राठौड (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना महावीर नगर–बी)	110	166.66
4	श्रीमती आशा वासन पत्नी स्व. श्री राकेश वासन (दी फॉरेस्ट व्यू हा.को.सो.लि. की योजना मोनिका विहार–तृतीय)	6B	84.67
5	श्रीमती लक्ष्मी लाटा पुत्री श्री बलराम शर्मा (हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना गणपति एनक्लेव)	86	61.81
6	श्री अंकुर सिंह पुत्र श्री सत्यपाल सिंह (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना महावीर नगर–ए)	05	202.22

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वंय भूखण्डधारी वहन करेंगें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोटः– विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

PRO/R-912
1/7/22

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101978

दिनांकः 19/07/2022

लोक सूचना

श्री **RAM LAL MEENA** पुत्र श्री **PRAHLAD MEENA** जाति **MEENA** निवासी **THALA WALI DHANI VILLAGE SINDARA TEHSIL NIWAI, TONK, RAJ.** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	राजपुरा मथुरा, सांगानेर (जयपुर)	RAM LAL MEENA	306	2300	0.23
2.	राजपुरा मथुरा, सांगानेर (जयपुर)	RAM LAL MEENA	319	4900	0.49
3.	राजपुरा मथुरा, सांगानेर (जयपुर)	RAM LAL MEENA	320	300	0.03
4.	राजपुरा मथुरा, सांगानेर (जयपुर)	RAM LAL MEENA	321	1200	0.12
				कुल	**0.87**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **19-07-2022** को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन 14 / प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy to - PRO. JDA, Jaipur.

जयपुर विकास प्राधिकरण